# कार्यालय नगर पालिक निगम धमतरी, जिला-धमतरी (छ.ग.)

Website – www.nagarnigamdhamtari.com, Email ID – commissionerdhamtari@gmail.com, Phone/Fax No. 07722-241599

## –:: मैनुअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना ::–

क्रमांक/आयुक्त/स्वास्थ्य विभाग/निविदा/2020/ 1601 धमतरी, दिनांक 24/8/2020

01. निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन की अंतिम तिथि – 5/9/2020 कार्यालयीन समयावधि तक
02. निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि – 8/9/2020 कार्यालयीन समयावधि तक।
03. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि – 15/9/2020 कार्यालयीन समयावधि तक।
04. निविदा खोलने की तिथि – 16/9/2020 समय प्रातः 11:30 बजे।

नगर पालिक निगम धमतरी अंतर्गत आवारा कुत्तो की बधियाकरण एवं एन्टी रेबीज टीकाकरण कार्य हेतु निविदा प्रपत्र "बी" में दिनांक 15.9.2020 तक स्पीड् पोस्ट के माध्यम से मैन्युअल निविदा आमंत्रित की जाती है –

| क्रं. | कार्य का विवरण | अनुमानित लागत (लाख में) | निविदा प्रपत्र का मूल्य | अमानत राशि |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01. | 1000 आवारा कुत्तो का बधियाकरण एवं एन्टीरेबीज टीकाकरण हेतु | 08.00 | 2000.00 | 20000.00 |

उपरोक्त कार्य से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं निविदा शर्ते कार्यालयीन अवधि में निगम कार्यालय के स्वास्थ्य विभाग शाखा कक्ष क्रं. 26 से प्राप्त की जा सकती है, विभागीय वेबसाईट **www.nagarnigamdhamtari.com** तथा **www.uad.cg.gov.in** में अवलोकन एवं डाउनलोड भी की जा सकती है। डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ 2000.00 रूपये का एफ.डी.आर. संलग्न करना होगा।

टीप :– 01. दर स्वीकृत का अधिकार नगर पालिक निगम को होगा।
02. राशि उपलब्धता के उपरांत ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।
03. निविदा संबंधी अन्य जानकारी व शर्ते किसी भी कार्य दिवस को अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में देखी जा सकती है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम धमतरी

पृ.क्रमांक/आयुक्त/स्वास्थ्य विभाग/निविदा/2020/ 1602 धमतरी, दिनांक 24/8/2020

प्रतिलिपि –

01. माननीय महापौर, नगर पालिक निगम धमतरी।
02. माननीय अध्यक्ष (स्पीकर), नगर पालिक निगम धमतरी।
03. प्रभारी सदस्य, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, नगर पालिक निगम धमतरी।
04. कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम धमतरी।
05. कलेक्टोरेट, जिला – धमतरी।
06. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), धमतरी।
07. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, धमतरी।
08. प्रेषक, नगर पालिक निगम धमतरी को सूचना फलक में चस्पा करने हेतु।
09. ग्रंथपाल, नगर पालिक निगम धमतरी को प्रकाशन पश्चात निविदा सूचना का पेपर कतरन प्रस्तुत करने हेतु।
10. डाटा सेन्टर प्रभारी, नगर पालिक निगम धमतरी उक्त सूचना विभागीय वेबसाईट में अपलोड करें तथा डाटा सेन्टर रायपुर को भेजे।
11. संपादक, प्रतिनिधि, दैनिक ........ समाचार पत्र को 2x10 से.मी. साईज में उपरोक्त विज्ञापन प्रकाशित किये जाने तथा प्रकाशन उपरांत विज्ञापन सहित अखबार 02 सेट में तत्काल लोक कर्म शाखा में प्रस्तुत किये जाने हेतु।

आयुक्त
नगर पालिक निगम धमतरी



Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर पालिक निगम धमतरी, जिला – धमतरी (छ.ग.)
Website – www.nagarnigamdhamtari.org, Email ID – commissionerdhamtari@gmail.com, Phone/Fax No. 07722-241599

## –:: आवारा कुत्तो के बधियाकरण एवं टीकाकरण हेतु नियम एवं निविदा शर्ते ::–

01. नगर पालिक निगम धमतरी सीमा क्षेत्र के अंदर पाये जाने वाले लावारिस कुत्तो को पकड़ कर बधियाकरण एवं टीकाकरण करना होगा।
02. कुत्तो को पकड़ने डॉग केचर एवं आवश्यक उपकरण की व्यवस्था ठेकेदार को करना होगा।
03. लावारिस कुत्तो को रखने 01 कमरा, ऑपरेशन हेतु 01 कमरा तथा ऑफिस कार्य हेतु 01 कमरे की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जावेगी।
04. नियम शर्तो के उल्लंघन की दशा में (रू. 5000.00 से 10000.00 तक) अर्थदण्ड से आयुक्त महोदय के आदेशानुसार दंडित किया जाएगा।
05. बधियाकरण में उपयोग होने वाले औजार, दवाईया, टीके, चिकित्सा आदि की व्यवस्था ठेकेदार को करना होगा।
06. पकडे गये आवारा कत्तो की खाने–पीने तथा देखरेख की संपूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी।
07. ठेकेदार (संस्था) को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा पंजीकृत होना अनिवार्य है।
08. संस्था/ठेकेदार को छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44 सन 1973) के अधीन पंजीकृत होना आवश्यक है।
09. संस्था में राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान द्वारा प्रशिक्षित एवं अनुभवी पशु चिकित्सक पदस्थ होने चाहिए।
10. भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के नियम एवं शर्तो का पालन करने की संपूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
11. श्रम नियमों के पालन की जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी, इसमें नगर निगम पार्टी नहीं होगी।
12. पकड़े गये कुत्तों को बधियाकरण उपरांत वापस उसी स्थान पर छोड़ना होगा।
13. पकड़े गये कुत्तों का ऑपरेशन किये गये कुत्तो का पंजीयन हेतु रजिस्टर संधारण करना होगा।
14. बधियाकरण उपरांत नगर निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापन के उपरांत बिल का भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
15. उपरोक्त नियम एवं शर्तो के किसी भी कंडिका का उल्लंघन करते पाये जाने पर ठेका निरस्त कर दी जावेगी।
16. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम धमतरी का निर्णय अंतिम होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम धमतरी



Scanned with CamScanner